



संसद टीवी वशिष्ठ: सुरक्षति साइबर स्पेस

प्रलिस के लयल:

भरतीय साइबर अपररध समनवय केंद्र (I4C), साइबर अपररध, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, दूरसंचर नेटवरक, वररस, रैनसमवेयर, सपाइवेयर, टरोजन, ररषटरीय अपररध रकॉर्ड बयुरो (NCRB) ररपॉरट, फशलगल, आईपी एड्रेस, आतंकवरी संगठन, महत्त्वपूर्ण बुनयरीदी ढरंचर, वततीय अपररध, सहकरी संघवरद, CERT-In, साइबर सुरक्षति भररत, डजलटल इंडयल, मैलवेयर ।

मेन्स के लयल:

साइबर अपररध के नहलतररथ और भररत में सुरक्षति साइबरस्पेस कर महत्त्व ।

चररर में कररर?

हल ही में भरतीय साइबर अपररध समनवय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) के प्रथम स्थापनर दवलस के अवसर पर नई दललली में एक करररकरम आयोजतल करल गयर, जसलमें कई प्रमुख पहलरं की शुरुआत के सलथ साइबर अपररध की रोकथरम में महत्त्वपूर्ण प्रगतल को प्रदर्शतल करल गयर ।

साइबर सुरक्षर करर है?

- साइबर सुरक्षर: यह हररडवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटर सहतल सूचनर प्रणरलयरल को साइबर खतररं से सुरक्षर प्रदरन करतल है । इसकर उद्देश्य अनधकृत पहुँच, चुरी, क्षतलतथर अन्य दुरभरवनरपूर्ण गतवलधलयरल से बचरव करनर है जो डजलटल जनकररी की अखंडतर, गोपनीयतर एवं उपलब्धतर से समझूतर कर सकती हैं ।
- साइबर स्पेस : इंटरनेट, दूरसंचर नेटवरक और कंप्यूटर प्रणरलयरल सहतल परस्पर जुडी सूचनर प्ररौदयोगकी अवसंरचनररं कर वैश्वकल नेटवरक, जहरं डेटर और संचर होते हैं ।
- करटलकल इंफररमेशन इंफररसट्रकरर (CII): सूचनर प्ररौदयोगकी अधनलयल की धररर 70(1) दवरर परभरषतल, करटलकल इंफररमेशन इंफररसट्रकरर (Critical Information Infrastructure- CII) में कंप्यूटर संसधन शरमलल हैं जनकी अक्षमतर यर खंडन ररषटरीय सुरक्षर, आरथकल स्थररतर, सार्वजनकल स्वरस्थय यर सुरक्षर को गंभीर रूप से प्रभरवतल कर सकतर है ।
- साइबर अटैक: वयकतयरल यर संगठनरं दवरर सूचनर प्रणरलयरल में सेंध लगरने कर जनबूझकर और दुरभरवनरपूर्ण प्रयरस, जसकर उद्देश्य वततीय लरभ से लेकर ररजनीतकल सकरयतर यर जरसूसी तक हो सकतर है ।

साइबर हमलरं के प्रकरर:

- मैलवेयर: दुरभरवनरपूर्ण सॉफ्टवेयर, जसलमें वररस, वर्मस, रैनसमवेयर, सपाइवेयर और टरोजन शरमलल हैं, जो ससल्टम को नुकसरन पहुँचरने यर बरधतल करने, जनकररी चुररने यर अनधकृत पहुँच प्रररप्त करने के लयल डजलइन करल गये हैं ।
- फशलगल: भररमक ईमेल यर वेबसाइट जो वयकतयरल को धोखर देकर उनसे वयकतगत जनकररी, जैसे लॉगलन कररेडेंशयल यर वततीय ववररण, प्रकट करवती हैं ।
- सेवर असवीकर (DoS) हमले : इन हमलरं कर उद्देश्य करसी मशीन यर नेटवरक पर अत्यधकल ट्रैफकल डरलकर उसे बंद करनर होतर है, जसलसे वह वैध उपयोगकररततरं के लयल दुरगम हो जतर है ।
- मैन इन मडलल (MitM) अटैक: दो पकरं के बीच उनकी जनकररी के बनर संचर को बरधतल करनर और बदलनर, जसलसे डेटर चुरी यर हेर-फेर संभव हो सके ।
- SQL इंजेक्शन: डेटर तक पहुँचने यर उसमें हेर-फेर करने के लयल क्वेरलज़ (Queries) में गलत कोड डरलकर डेटरबेस की कमजोरयरल कर फरयदर उतरनर ।
- करॉस-साइट स्कररपलटल (XSS): उपयोगकररततरं के बररउजरं में चलरने के लयल वेबसाइटं में दुरभरवनरपूर्ण स्कररपलट डरलनर, संभरवतल रूप से वयकतगत जनकररी चुररनर यर अनधकृत कररर करनर ।
- सरमरजकल इंजीनयरलरगल: मनरवैजजनकल चरलरं के मरधयम से वयकतयरल को सुरक्षर प्ररोटोकॉल कर उल्लंघन करने यर गोपनीय जनकररी कर खुलरसर

करने के लिये प्रेरित करना ।

साइबर अपराध से निपटने हेतु सरकार की क्या पहल हैं?

■ हालिया पहल:

- **साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC):** यह केंद्र प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, IT मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।
 - यह ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिये एक सहकारी मंच के रूप में कार्य करता है और कानून प्रवर्तन में सहकारी संघवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- **समन्वय प्लेटफॉर्म:** एक वेब-आधारित मॉड्यूल जिसे साइबर अपराध डेटा के लिये एक केंद्रीय भंडार के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो पूरे भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा साझाकरण, अपराध मानचित्रण और समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।
- **साइबर कमांडो कार्यक्रम:** अगले पाँच वर्षों में लगभग 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करने में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों की सहायता के लिये साइबर सुरक्षा पेशेवरों का एक विशेष कैंडर विकसित करने पर केंद्रित है।
- **संदिग्ध रजिस्ट्री:** यह राष्ट्रीय स्तर की रजिस्ट्री साइबर अपराध संदिग्धों के बारे में जानकारी एकत्रित करती है तथा वित्तीय पारसिथितिकी तंत्र के भीतर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को बढ़ाती है।

■ पछिली पहल:

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा के उपयोग को नियंत्रित करता है, जिसमें **हैकिंग, साइबर आतंकवाद तथा डेटा चोरी जैसे अपराधों के लिये प्रावधान शामिल हैं।**
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित, I4C का उद्देश्य समन्वित प्रयासों के माध्यम से भारत में साइबर अपराध को संबोधित करना है।
 - 5 अक्टूबर, 2018 को स्वीकृत I4C कानून प्रवर्तन और हतिधारकों के बीच समन्वय को बढ़ाता है, राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाता है और साइबर अपराध से निपटने में नागरिक संतुष्टि में सुधार करता है।
- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In):** CERT-In साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रबंधन और प्रतिक्रिया प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत के डिजिटल परदृश्य में घटना प्रबंधन, भेद्यता मूल्यांकन तथा सुरक्षा निरीक्षण के लिये केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- **साइबर सुरक्षा भारत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रभाग (National Electronic Governance Division- NeGD) के सहयोग से शुरू किया गया, साइबर सुरक्षा भारत का उद्देश्य वर्तमान साइबर खतरों तथा चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर "डिजिटल इंडिया" दृष्टिकोण का समर्थन करना है।**
- **साइबर स्वच्छता केंद्र:** यह पहल कंप्यूटर और डेटा से दुरभावनापूर्ण बॉटनेट प्रोग्राम की पहचान करने और उन्हें खत्म करने पर केंद्रित है। यह **मैलवेयर** विश्लेषण के लिये निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है तथा सॉफ्टवेयर एवं डेटा सुरक्षा को बढ़ाता है।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020: इसका उद्देश्य अधिक कठोर ऑडिट लागू करके साइबर जागरूकता बढ़ाना और साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना है।**
 - साइबर ऑडिट वर्तमान कानूनी आवश्यकताओं से परे संगठनात्मक सुरक्षा उपायों का अधिक गहन मूल्यांकन करेंगे।

■ अंतरराष्ट्रीय पहल:

- **साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन:** साइबर अपराध पर कानूनों को सुसंगत बनाने और सहयोग बढ़ाने के लिये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह 1 जुलाई, 2004 से प्रभावी है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- **इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF):** इंटरनेट गवर्नेंस पर सरकारों, नज्दी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच संवाद के लिये एक मंच।
- **UNGA संकल्प:** ICT सुरक्षा के लिये दो प्रक्रियाएँ स्थापित की गईं, अर्थात् **ओपन-एंडेड वर्कगि ग्रुप (Open-ended Working Group- OEWG)** और **सरकारी विशेषज्ञों का समूह (GGE)**।

भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **साइबर अपराध दर में वृद्धि:** **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) की रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2022 में साइबर अपराध के मामलों में 24.4% की वृद्धि होगी।** वर्ष 2022 में साइबर अपराध श्रेणी के तहत अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या) 2021 में 3.9 से बढ़कर 4.8 हो गई है।
 - वर्ष 2022 में साइबर अपराध के 64.8% मामले धोखाधड़ी से संबंधित थे, 5.5% जबरन वसूली से संबंधित थे और 5.2% यौन शोषण से संबंधित थे।
 - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अनुसार, मई 2024 में प्रतिदिन औसतन 7,000 साइबर अपराध शिकायतें दर्ज की गईं।
- **मोबाइल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का बढ़ता उपयोग:** भारत में 1 बिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं और कई मोबाइल ऐप्स में मज़बूत सुरक्षा सुविधाओं का अभाव है, जिससे डेटा उल्लंघन का खतरा बढ़ जाता है।
- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का प्रसार:** स्मार्ट होम गैजेट्स और पहनने योग्य उपकरणों जैसे IoT उपकरणों का व्यापक उपयोग अक्सर कमजोर सुरक्षा सुविधाओं के कारण हमलों के लिये उन्हें उजागर करता है, जिससे वे साइबर घुसपैठ हेतु आसान लक्ष्य बन जाते हैं।
- **जटिल सॉफ्टवेयर प्रणालियाँ:** आधुनिक सॉफ्टवेयर प्रणालियों की बढ़ती जटिलता, जिसमें उनके अनेक घटक और अंतर्क्रियाएँ शामिल हैं, कमजोरियाँ पैदा कर सकती हैं जिनका हमलावर फायदा उठा सकते हैं।
 - इस जटिलता के कारण अक्सर सुरक्षा संबंधी खामियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें पहचानना और उनका समाधान करना कठिन होता है, जिससे ये प्रणालियाँ साइबर हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।

- **मानवीय त्रुटि:** सुरक्षा प्रथाओं में गलतियाँ जैसे **सेटिंग्स को गलत तरीके से कॉन्फिगर करना** या **फिशिंग** योजनाओं के झाँसे में आना, हमलावरों के लिये संभावित प्रवेश बिंदु बनाते हैं।
 - उदाहरण के लिये, कोई कर्मचारी गलती से एकसेस नयितरण को गलत तरीके से कॉन्फिगर करके या कसिंहुरभावनापूर्ण लकि पर क्लिक करके **संवेदनशील डेटा को उजागर कर सकता है**, जिससे डेटा चोरी हो सकती है।
 - ये त्रुटियाँ प्रायः जागरूकता या प्रशिक्षण की कमी के कारण होती हैं, जिससे जोखिमों को कम करने और समग्र सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये नरितर शकिषा तथा कड़े प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर बल मलिता है।
- **प्रॉक्सी सर्वर और VPN का उपयोग :** हमलावर अक्सर अपने **आईपी एड्रेस** को छुपा देते हैं, जिससे उनके मूल का पता लगाने के प्रयास जटिल हो जाते हैं।
- **तकनीकी बलिंब:** आक्रमण तकनीकों तेजी से वकिसति होती है, जो प्रायः प्रत्युत्तर उपायों के वकिस से भी आगे नकिल जाती हैं।
 - उदाहरण के लिये जबकि उन्नत एन्क्रिप्शन वधियिों के साथ नए प्रकार के **रैनसमवेयर** सामने आ सकते हैं, मौजूदा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अभी तक इन खतरों का पता लगाने या उन्हें बेअसर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण:** कई व्यक्तियों और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा प्रथाओं में **पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है**।
 - **नैसकॉम** के एक हालिया अध्ययन में पूर्वानुमान लगाया है कि वर्ष 2027 तक **1 मिलियन नई साइबर सुरक्षा नौकरियाँ** उत्पन्न होंगी, जनिमें **कुशल प्रतभिा की कमी** के कारण से **30% मौजूदा पद** खाली रह जाएंगे।
- **खतरों को कम आँकना:** कुछ संगठन और व्यक्ता साइबर खतरों की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त सुरक्षा मलिती है।
 - जागरूकता की कमी के कारण **अपर्याप्त सुरक्षा और तैयारी हो सकती है**, जिससे ससि्टम हमलों के प्रता असुरक्षति हो सकता है, जसिे साइबर सुरक्षा के प्रता अधकि व्यापक दृषटकिेण से कम कयिा जा सकता था।
- **साइबर सुरक्षा वशिषज्जों की कमी:** **कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों** की मांग आपूर्तिसे अधकि है, जिसके कारण नयिकृता प्रतासिपर्दधी है और कर्मचारियों का टरनओवर अधकि है।
 - अपर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण योग्य वशिषज्जों की कमी हो जाती है।
- **आतंकवादियों द्वारा साइबरस्पेस का बढ़ता उपयोग:** **आतंकवादी संगठन भरती और प्रचार** के लिये इंटरनेट का उपयोग करते हैं। साथ ही आतंकवादियों द्वारा साइबर हमलों का उपयोग करके **महतत्वपूर्ण बुनयिादी ढाँचे** को नशिाना बनाने का जोखमि भी है।
 - उदाहरण के लिये **इसलामकि स्टेट (ISIS)** ने **फाइटरों की भरती करने और वैश्वकि स्तर पर चरमपंथी सामग्री का प्रसार करने के लिये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कयिा है**। इसके अलावा साइबर हमलों के माध्यम **महतत्वपूर्ण बुनयिादी ढाँचे** को नशिाना बनाने वाले आतंकवादियों का जोखमि बढ़ रहा है।

आगे की राह

- **जन जागरूकता अभियान:** वविधि मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँच बढ़ाना और साइबर सुरक्षा शकिषा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना। **I4C के स्थापना दविस समारोह में हाल ही में घोषति नई पहलों में साइबर अपराध तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930** के बारे में लोगों को शकिषति करने के लिये टीवी, रेडियो और अन्य मीडिया का उपयोग कयिा जाएगा। राज्य सरकारों से जागरूकता फैलाने में भाग लेने का आग्रह कयिा जाता है।
- **तकनीकी उपायों को मज़बूत करना:** उन्नत प्रौद्योगकियिों में नविश करना तथा सरकार, नजिी क्षेत्र और अंतरराषट्रीय साझेदारों के बीच **सहयोग बढ़ाना**।
- **साइबर सुरक्षा प्रतभिा का वकिस करना:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वसितार करना और साइबर सुरक्षा में कॅरियर वकिस के अवसर पैदा करना। यह अनुमान है कि वर्ष 2026 तक वैश्वकि साइबर सुरक्षा बाज़ार का **352.25 बलियन अमेरकिी डॉलर तक बढ़ना** भारत के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर प्रसतुत करता है, जसिमें इसके साइबर सुरक्षा उद्योग का वसितार तथा **रोज़गार सृजन में वृद्धि शामिल है**।
- **नगिरानी और मूल्यांकन:** साइबर सुरक्षा पहलों का नयिमति मूल्यांकन करना तथा नरितर सुधार के लिये फीडबैक तंत्र स्थापति करना।
- **व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** **साइबर खतरों** और रोकथाम के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये व्यक्तियों और संगठनों हेतु प्रशिक्षण पहल का वसितार करना।
- **उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगकियिों में नविश:** उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिये अत्याधुनकि सुरक्षा समाधानों के वकिस और तैनाती को प्राथमकिता देना। यह सुनशिचति करना कि ज्ञात कमजोरियिों को दूर करने तथा समग्र सुरक्षा में सुधार करने हेतु सॉफ्टवेयर एवं ससि्टमनयिमति रूप से अपडेट कयिे जाते हैं।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय:** साइबर अपराध से नपिटने के लिये सूचना और रणनीतियिों को साझा करने हेतु **सरकारी एजेंसियिों, नजिी क्षेत्र की संस्थाओं तथा अंतरराषट्रीय भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना**।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रलिमिस:

Q. 'वानाकराई, पेट्या और इटर्नलब्लू' पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे नमिनलिखित में से कसिके साथ संबंधति है: (2018)

- एक्सोप्लैनेटस
- प्रचछन्न मुद्रा (क्रपिटोकर्सिी)
- साइबर आक्रमण
- लघु उपग्रह

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत में, किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर, नधिकी हानि के भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त, सामान्यतः नमिनलखिति में से कौन-कौन से लाभ दिये जाते हैं? (2020)

1. यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुँच बाधति कर देता है, तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचलति करने में लगने वाली लागत
2. यदि यह प्रमाणति हो जाता है ककिसी शरारती तत्त्व द्वारा जान-बूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता गया है, तो नए कंप्यूटर की लागत
3. यदि साइबर बलात्-ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिये वशिषज्ज परामरशदाता की सेवाएँ लेने पर लगने वाली लागत
4. यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (B)

??????:

Q. भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा-पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का वशिलेण कीजयि। साथ ही इन परष्कृत हमलों के वरिद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजयि। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/sansad-tv-vishesh-safe-cyberspace>

